रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092022-239126
CG-DL-E-26092022-239126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2022/आश्विन 4, 1944
No. 646] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022/ ASVINA 4, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2001 (2001 का 1) की धारा 71 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य) नियम, 2022 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.-- ये नियम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2001 (2001 का 1) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित महापत्तनों को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "**अधिनियम**" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2001 (2001 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "**अनुसूची**" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो न नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

4. महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता.—(1) कोई व्यक्ति महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह केन्द्रीय सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या महापत्तन में सेवारत अधिकारी नहीं है और अनुसूची में यथा विहित अर्हता मानदंड को पूरा नहीं करता है ।

(2) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह,--

(क) राज्य सरकार के सचिव (यदि वह उस राज्य सरकार जिसमें महापत्तन अवस्थित है, का नामनिर्देशिती है);

(ख) मुख्य माल-भाड़ा परिवहन प्रबंधन (यदि वह रेल मंत्रालय का नामनिर्देशिती है);

(ग) जिला कमांडर या उपमहानिदेशक (तटरक्षक), राज्य का नौसेना भारसाधक या कोमोडोर (यदि वह रक्षा मंत्रालय का नामनिर्देशिती है);

(घ) सीमा-शुल्क आयुक्त (यदि वह सीमा-शुल्क, राजस्व विभाग का नामनिर्देशिती है),

से अन्यून पंक्ति का सेवारत सरकारी अधिकारी नहीं हो ।

(3) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं हो और उसे,--

(i) प्रबंधन;

(ii) प्रशासन; या

(iii) पत्तन, पोत परिवहन या सामुद्रिक क्षेत्र में योजना या विकास,

में पर्याप्त ज्ञान और 15 वर्षों से अन्यून का वृत्तिक अनुभव नहीं हो ।

(4) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह निदेशक की पंक्ति से अन्यून का सेवारत सरकारी अधिकारी नहीं हो ।

(5) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह महापत्तन प्राधिकरण का सेवारत सरकारी अधिकारी नहीं हो ।

5. बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति.—(1) बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । सिविल सेवा बोर्ड, अपने द्वारा इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची के व्यक्तियों में से अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किन्हीं व्यक्तियों की सिफारिश करेगा और अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी ।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, सिविल सेवा बोर्ड, अपने द्वारा इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची में से अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा ।

(3) बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के भारसाधक मंत्री द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी ।

(4) सिविल सेवा बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की छंटनी करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विकसित करेगा ।

(5) यथास्थिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के भारसाधक मंत्री क्रमश: बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों को अधिसूचित करेंगे:

परंतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के भारसाधक मंत्री क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिशों की बाबत, सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए नामों को पुनर्विचार करने के लिए कारणों सहित वापस करने और सिविल सेवा बोर्ड द्वारा नए नामों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करने के हकदार होंगे ।

6. महापत्तन के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति.—(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार, लिखित संसूचना के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार जिसमें महापत्तन अवस्थित है, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सीमा-शुल्क, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसार अर्हित व्यक्ति के नामनिर्देशन की अपेक्षा करेगी ;

(ख) केन्द्रीय सरकार, खंड (क) में यथा-उल्लिखित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में अपना समाधान हो जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों की बाबत आदेश जारी करेगा ;

(ग) व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में उल्लिखित तारीख से नियुक्ति किए जाएंगे ।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार, नियम 4 के उपनियम (3) में उल्लिखित अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी;

(ख) केन्द्रीय सरकार, खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वतंत्र सदस्यों को नियुक्त करेगी;

(ग) खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में उल्लिखित तारीख से नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस तारीख से जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाता है, ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में यथा उल्लिखित है, बोर्ड के सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।

(4) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय संघों की राय प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को संबद्ध महापत्तन प्राधिकरण द्वारा नियोजित वर्तमान कर्मचारियों का उच्चतम और द्वितीय उच्चतम प्रतिनिधित्व रखने वाले मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघों में से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसार अर्हित व्यक्ति के नाम प्राप्त करने के लिए निदेश देगी;

(ख) वर्तमान कर्मचारियों का उच्चतम और द्वितीय उच्चतम प्रतिनिधित्व रखने वाले व्यवसाय संघों की पहचान और संबद्ध महापत्तन प्राधिकारी द्वारा नाम प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया महापत्तन में नियोजित व्यक्तियों से गठित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, यदि कोई हो के परामर्श से संबद्ध पत्तन के बोर्ड द्वारा यथा विकसित और महापत्तन पर समय समय पर लागू की गई प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार, व्यवसाय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पात्रता का समाधान करने के पश्चात् धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की बाबत आदेश पारित करेगी और उक्त आदेश की एक प्रति संबद्ध महापत्तन प्राधिकरण को जिसकी बाबत उक्त नियुक्ति की जाती है, अग्रेषित करेगा;

(घ) खंड (ख) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट और खंड (ग) के अधीन आदेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त आदेश में उल्लिखित तारीख से धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा'

(ङ) यदि खंड (क) के अधीन व्यवयाय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अपात्र पाया जाता है या अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निरर्हित कर दिया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार संबद्ध महापत्तन को अपने विनिश्चय की संसूचना देगी और व्यवसाय संघों से खंड (ख) के अधीन उपबंधित रीति से नए नामांकन प्राप्त करेगी ।

7. सदस्यों का त्याग पत्र.—(1) अधिनियम की धारा 8 के निबंधनों में बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उसके पश्चात् ऐसा पद रिक्त समझा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन त्यागपत्र की स्वीकृति की संसूचना, केन्द्रीय सरकार द्वारा संबद्ध महापत्तन प्राधिकारी को जिसमें यथास्थिति, ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया गया था, संसूचित की जाएगी ।

8. रिक्ति की दशा में सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.—(1) पदावधि के अवसान द्वारा कारित बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद रिक्ति की दशा में, बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे सदस्य की पदावधि के अवसान की तारीख से तीन मास पहले ऐसी रिक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार और संबद्ध नामनिर्देशन प्राधिकारी को सूचना देगा और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए को तीन मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी ।

(2) यदि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निरर्हता या बीमारी अथवा अन्य असक्षमता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असक्षमता के कारण के कारण हुई है, तो संबद्ध महापत्तन का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी ऐसी रिक्ति के कारित होने के सात दिवस के भीतर ऐसी रिक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे पदों को भरने के लिए नियुक्ति की जाएगी ।

9. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए जांच करने की प्रक्रिया.—(1) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर अपने पद से हटाए जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी,--

(क) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की बाबत जांच करने के समय प्रवृत्त सुसंगत और लागू अखिल भारतीय सेवा नियम या विनियम;

(ख) केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की बाबत जांच करने के समय प्रवृत्त सुसंगत और लागू केन्द्रीय सेवा नियम या विनियम;

(ग) पत्तन सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के संबंध में जांच के संचालन के समय प्रवृत्त सुसंगत और लागू केंद्रीय सेवा नियम या विनियम :

परंतु बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध, बोर्ड से ऐसे हटाए जाने के लिए तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जांच प्रक्रिया, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य, जिसके विरुद्ध जांच अपेक्षित है, के प्रत्याहरण, अंतरण, स्थानापन्न या प्रतिस्थापन के लिए आदेश पारित करने के केंद्रीय सरकार के अधिकार के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगी ।

10. महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने के लिए संसूचना--अधिनियम के निबंधनानुसार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को हटाने की संसूचना, केंद्रीय सरकार द्वारा संबद्ध महापत्तन

प्राधिकरण को, जिसमें ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, दी जाएगी ।

11. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं—ऐसा व्यक्ति, जो महापत्तन प्राधिकरण में बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख को, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या महापत्तन की सेवा में है, ऐसी अवधि के दौरान, जिसमें वह ऐसा पद धारित करता है, उसे उस सेवा के अधीन उसे लागू नियमों के अनुसार अपना वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करता रहेगा ।

12. बोर्ड के सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कोई वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं संदत्त नहीं की जाएगी :

परंतु स्वतंत्र सदस्य, बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कार्य के लिए ऐसा मानदेय संदत्त किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए :

परंतु यह और कि मानदेय के अतिरिक्त, स्वतंत्र सदस्य को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने या किसी आधिकारिक यात्रा या बोर्ड के किसी अन्य कार्य के लिए, जिसमें वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा यात्रा, भोजन व्यवस्था, आवास और अन्य किए गए खर्च का वास्तविक उपगत व्यय का ऐसा विशेषाधिकार दिया जाएगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो बोर्ड, समय-समय पर निश्चित और अनुमोदित करे ।

13. विशेष प्रास्थिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें—इन नियमों के किन्हीं उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यदि वह आवश्यक समझती है, किसी विशेष प्रास्थिति, जो पदधारी को प्रदत्त की जाए, के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं स्वीकृत कर सकेगी ।

14. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक समझा जाना—बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

15. अवशिष्ट उपबंध—बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, प्रत्येक दशा में महापत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

16. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा—बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, नियमों से उपाबंध प्ररूप में बोर्ड को घोषणा करेगा ।

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

महापत्तन प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड

पद	अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सेवारत अधिकारी	कामराजन पत्तन लिमिटेड* के कर्मचारियों सहित पत्तन अधिकारी
अध्यक्ष, श्रेणी-1 पत्तन	केंद्रीय कर्मचारी योजना के अधीन केंद्र में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण करने के लिए पैनल में शामिल अधिकारी ।	अधिकारी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अनुभव है : (i) श्रेणी-2 पत्तन में अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष ; या (ii) श्रेणी-1 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में या उच्च स्तर पद पर चार वर्ष की संयुक्त सेवा ; या (iii) श्रेणी-2 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में या उच्च स्तर पद पर पांच

		वर्ष की संयुक्त सेवा ।
अध्यक्ष, श्रेणी-2 पत्तन		अधिकारी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अनुभव है : (i) श्रेणी-1 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में दो वर्ष ; या (ii) श्रेणी-2 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में या उच्च स्तर पद पर तीन वर्ष की संयुक्त सेवा ।
उपाध्यक्ष, श्रेणी-1 पत्तन	ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में तेरह वर्ष से अन्यून की नियमित सेवा की है ।	अधिकारी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अनुभव है : (i) श्रेणी-2 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में दो वर्ष ; या (ii) किसी महापत्तन प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष के रूप में या उच्च स्तर के पद पर छह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो : परंतु अधिकारी ने श्रेणी-2 पत्तन में उपाध्यक्ष के रूप में न्यूनतम एक वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iii) किसी महापत्तन प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष के रूप में नौ वर्ष की सेवा ।
उपाध्यक्ष, श्रेणी-2 पत्तन	ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में नौ वर्ष से अन्यून की नियमित सेवा की है ।	ऐसा अधिकारी, जिनके पास किसी महापत्तन प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण :

(1) *कामराजन पत्तन लिमिटेड के कर्मचारी, जो समतुल्य पदों के साथ तत्समान वेतनमान और सेवा अवधि रखते हैं, विचार किए जाने के लिए अर्हित होंगे ।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद चयन पद होगा, जिसके लिए न्यूनतम मानदंड अंतिम पांच वर्षों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की समग्र ग्रेडिंग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होनी चाहिए ।

(3) नियुक्ति के लिए केवल ऐसे आवेदकों पर ही विचार किया जाएगा, (रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख या आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को, इनमें से जो भी पश्चात्तवर्ती है) जिसकी सेवा के दो वर्ष या अधिक शेष है ।

प्ररूप

(नियम 16 देखिए)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं, ……………………………………………., जो .... (महापत्तन प्राधिकरण का नाम डालें) के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो, उसे काट दें) के रूप में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त (जो भाग लागू न हो, उसे काट दें) किया गया हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि,--

क. मैं, उक्त महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो, उसे काट दें) का पद धारण करने के लिए न तो अपात्र हूं और न ही निरर्हित हूं ; और

ख. मेरा ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित, जिसमें हितों का टकराव भी सम्मिलित है, न तो अब है और न ही भविष्य में होगा, जिससे उक्त महापत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य (जो भाग लागू न हो, उसे काट दें) के रूप में मेरे कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

तारीख :

[फा. सं. पीडी-24015/59/2021-पीडी-1]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2022

G.S.R. 727(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 4 and sub-section (2) of section 5 read with sub-section (2) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021, (1 of 2021) the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment of Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Major Port Authorities, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Chairperson, Deputy Chairperson and Board Members) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. —** These rules shall apply to the Major Ports mentioned under sub-section (3) of section 1 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021).

3. **Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Act"** means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) **"Schedule"** means Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Qualification for appointment of Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Board of Major Port Authority. —** (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson or the Deputy Chairperson of the Board of a Major Port Authority, unless he is a serving officer in the Central Services or All India Services or Union territory Administration or the Major Port and meets the qualifying criteria as prescribed in the **Schedule**.

(2) A person shall not be eligible for appointment as Member under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act unless he is a serving Government officer not below the rank of a,-

(a) Secretary to the State Government (if he is a nominee of State Government in which the Major Port is situated);

(b) Chief Freight Transport Manager (if he is a nominee of the Ministry of Railways);

(c) District Commander or Deputy Inspector General (Coast Guard), Naval in-charge of the State or Commodore (if he is a nominee of the Ministry of Defence);

(d) Commissioner of Customs (if he is a nominee of the Customs, Department of Revenue).

(3) A person shall not be qualified for appointment as an Independent Member under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act unless he is a person of integrity and has adequate knowledge and professional experience of not less than fifteen years in,-

(i) management;

(ii) administration; or

(iii) planning or development in the port, shipping or maritime sector.

(4) A person shall not be qualified for nomination or appointment as a Member under clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Act unless he is a serving Government officer not below the rank of a Director.

(5) A person shall not be qualified for appointment as a Member under clause (f) of sub-section (1) of section 3 of the Act unless he is a serving employee of the Major Port Authority.

5. **Method of Appointment of Chairperson and Deputy Chairperson of Board. —** (1) The Chairperson and Deputy Chairperson of the Board shall be appointed by the Central Government on the recommendation of

the Civil Service Board. The Civil Service Board shall recommend persons for appointment of Chairperson from amongst persons on the list of candidates prepared by it after inviting applications thereof and the Chairperson shall be appointed after approval of the Appointments Committee of Cabinet.

(2) In the case of appointment of Deputy Chairperson of the Board, the Civil Service Board shall recommend persons amongst the list of candidates prepared by it after inviting applications thereof.

(3) The Deputy Chairperson of the Board shall be appointed after receiving the approval by the Minister in-charge of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

(4) The Civil Service Board may devise its own procedure for short-listing suitable candidates for the appointment of Chairperson and Deputy Chairperson of the Board.

(5) The Appointments Committee of Cabinet and the Minister in-charge of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as the case may be, shall notify the selected persons for appointment as the Chairperson and Deputy Chairperson of the Board respectively:

Provided that the Appointments Committee of Cabinet and the Minister in-charge of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in respect of the recommendations of persons for the post of Chairperson and Deputy Chairperson respectively, shall be entitled to return the names recommended by the Civil Service Board along with reasons for reconsideration and the request for submission of fresh names by the Civil Service Board.

6. Method of Appointment of Members of the Board of Major Port Authority. — (1) The appointment of Members under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall be made by the Central Government in the following manner, namely,-

(a) the Central Government shall by way of a communication in writing require each of the State Government in which the Major Port is situated, Ministry of Railways, Ministry of Defence and the Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance to nominate qualified persons as per sub-rule (2) of rule 4 for appointment as Member of the Board;

(b) the Central Government shall, after satisfying itself with the eligibility of the persons nominated by the respective authorities as mentioned in clause (a), issue an order in respect of persons selected for appointment as the Members under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) the persons appointed as Members of the Board from the date mentioned by the Central Government in the order.

(2) The appointment of Independent Members under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall be made by the Central Government in the following manner, namely,-

(a) the Central Government shall invite applications from the eligible persons meeting the qualification criteria mentioned in sub-rule (3) of rule 4;

(b) on receipt of the applications under clause (a), the Central Government shall, after satisfying itself with the eligibility of such persons, appoint the Independent Members under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) the Members appointed under clause (b) shall be deemed to be appointed as Independent Members of the Board from the date mentioned by the Central Government in the order.

(3) The nomination of the Member under clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall be made by the Central Government and the person nominated shall be deemed as the Member of the Board from the date on which the order is passed by the Central Government for such period as mentioned in the order.

(4) The appointment of the Members under clause (f) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall be made by the Central Government in the following manner, namely,-

(a) the Central Government shall for the purpose of obtaining the opinion of the trade unions under sub-section (3) of section 4 of the Act, direct the Board of the concerned Major Port Authority to obtain names of qualified persons as per sub-rule (5) of rule 4 for their appointment as Members of the Board under clause (f) of sub-section (1) of section 3 of the Act; from the recognised trade unions having highest and second highest representation of current employees employed by the concerned Major Port Authority;

(b) the identification of the trade unions having highest and second highest representation of current employees and the process for obtaining names by the concerned Major Port Authority shall be done in accordance with the procedures as devised by the Board of the concerned port in consultation with registered trade unions, if any, composed of persons employed in the Major Ports and made applicable to Major Port from time to time;

(c) the Central Government shall, after satisfying itself with the eligibility of the trade union nominated person, issue an order in respect of person nominated for appointment as the Member under clause (f) of sub-section (1) of section 3 and forward a copy of the said order with the concerned Major Port Authority in respect of which the said appointment is made;

(d) the person nominated by recognised trade unions, as per procedure provided under clause (b) and approved by the Central Government by way of an order under clause (c) shall be deemed to be appointed as the Member under clause (f) of sub-section (1) of section 3 from the date mentioned in the said order by the Central Government;

(e) in case the person nominated by trade unions under clause (a) is found ineligible by the Central Government or is disqualified on account of the provisions of sub-section (1) of section 5 of the Act, the Central Government shall communicate its decision to the concerned Major Port Authority and obtain fresh nominations from the trade unions in manners provided under clause (b).

7. Resignation of Members. — (1) The resignation of the Chairperson, Deputy Chairperson or Member of the Board in terms of section 8 of the Act shall take effect from the date on which such resignation is accepted by the Central Government, thereafter the post shall be deemed to have been vacated.

(2) The communication of acceptance of resignation under sub-rule (1) shall be communicated by the Central Government to the concerned Major Port Authority in which such person was appointed as the Chairperson, Deputy Chairperson or Member, as the case may be.

8. Procedure for Appointment of Members in case of vacancy. — (1) In the case of a vacancy in the office of a Chairperson, Deputy Chairperson or Member of the Board caused by the expiration of the term of office, the Chairman of the Board shall inform the Central Government and the concerned nominating authority about such vacancy three months prior to the date of expiration of the term of such Member and the appointment to fill such vacancy shall be made by the Central Government within the said period of three months.

(2) In the case of a vacancy in the office of a Chairperson, Deputy Chairperson or Member of the Board caused by reason of his death, resignation, disqualification or inability to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Chairperson or in his absence the Deputy Chairperson or any other authorised officer of the concerned Major Port Authority shall inform the Central Government about such vacancy within seven days of the vacancy caused and the appointment to fill such vacancy shall be made by the Central Government within three months from the date of such information.

9. Procedure for conducting inquiry for removal of Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Board. — (1)The Central Government shall, prior to removal of the Chairperson, Deputy Chairperson or any Member from his position on the Board on grounds mentioned in sub-section (2) of section 5 of the Act, conduct an inquiry following the procedure in accordance with,-

(a) relevant and applicable All India Services Rules or Regulations in force at the time of conduct of inquiry in respect of officers belonging to All India Services;

(b) relevant and applicable Central Services Rules or Regulations in force at the time of conduct of inquiry in respect of officers belonging to Central Services;

(c) relevant and applicable Central Civil Services Rules or Regulations in force at the time of conduct of inquiry in respect of the officers belonging to Port Services:

Provided that no order for such removal from the Board shall be passed against the Chairperson, Deputy Chairperson or any Member of the Board unless he has been given an opportunity of being heard.

(2) The inquiry process under sub-rule (1) shall be without prejudice to the power vested with the Central Government under sub-section (3) of section 5 of the Act as well as the right of the Central Government to pass an order for withdrawal, transfer, replacement or substitution of the Chairperson, Deputy Chairperson or any Member of the Board against whom the inquiry is contemplated.

10. Communication of removal of Chairperson, Deputy Chairperson and Members to the Major Port Authority. —The removal of the Chairperson, Deputy Chairperson or Member of the Board in terms of the Act shall be communicated by the Central Government to the concerned Major Port Authority in which such person was appointed as the Chairperson, Deputy Chairperson or Member, as the case may be.

11. Salary, allowances and other benefits payable to Chairperson and Deputy Chairperson.—Any person, who on the date of his appointment to the office of the Chairperson or Deputy Chairperson of the Board of a Major Port Authority is in the service of the Central or a State Government or a Union territory Administration or a Major Port shall, during the period he holds such office, continue to receive his salary, allowances and other benefits in accordance with the rules applicable to him under that service.

12. Salary, allowances and other benefits payable to Members of the Board. —Any person appointed as the Member of the Board under clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall not be paid any salary, allowances and other benefits for such appointment:

Provided that the Independent Members shall be paid such honorarium by the Board for attending meetings of the Board or any committee thereof or for any other work of the Board as may be fixed by the Central Government:

Provided further that in addition to the honorarium, the Independent Members shall be given such privileges or reimbursement of actual expenses incurred by him towards travel, boarding, lodging and other out-of-pocket expenses for attending meetings of the Board or any committee thereof or for any official tour or other work of the Board in which he is so appointed, as the Board may decide and approve from time to time.

13. Service conditions of Chairperson, Deputy Chairperson or Members of special status.—Without prejudice to any of the provisions in these rules, the Central Government may by an order, if it is considered necessary, sanction specific salaries, allowances and other facilities to the Chairperson, Deputy Chairperson or a Member of the Board in accordance with any special status that may be conferred on the incumbent.

14. Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Board to be deemed as public servants.—The Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

15. Residuary provisions. —Matters related to the terms and conditions of service of the Chairperson, Deputy Chairperson and Members of the Board with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case by the Major Port Authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

16. Declaration of financial or other interest.—Every person nominated or appointed to the office of the Chairperson, Deputy Chairperson or Member of the Board shall, furnish to the Board a declaration in Form annexed to the rules.

17. Power to relax rules. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

(See rule 4)

Eligibility criteria for appointment to the posts of Chairperson and Deputy Chairperson in Major Port Authorities:

Post	**Officers serving in the All India Services or Central Services or Union territory Administration**	**Port officers including the employees of Kamarajar Port Limited***
Chairperson, Category I Ports	Officers empanelled to hold Joint Secretary or equivalent posts at the Centre under Central Staffing Scheme.	Officer having an experience of a minimum: (i) three years as Chairperson in Category-II Port; or (ii) four years combined service as Deputy Chairperson of Category-I Port or above level post; or (iii) five years combined service as Deputy Chairperson in Category-II Port or above level post.
Chairperson, Category II Ports		Officer having an experience of a minimum: (i) two years as Deputy Chairperson in Category-I Port; or (ii) three years combined service as Deputy Chairperson in Category-II Port or above level post.
Deputy Chairperson, Category I Ports	Officers who have put in not less than thirteen years of regular service in Group 'A'.	Officer having an experience of a minimum: (i) two years as Deputy Chairperson in Category-II Port; or (ii) six years combined service as Head of Department or above level post in any Major Port Authority: provided that the officer has rendered at least one year's regular service as Deputy Chairperson in Category II Port; or (iii) nine years as Head of Department of any Major Port Authority.
Deputy Chairperson, Category II Ports	Officers who have put in not less than nine years of regular service in Group 'A'.	Officer having an experience of a minimum five years as Head of Department of any Major Port Authority.

Note:

(1) *The employees of Kamarajar Port Limited holding equivalent posts with corresponding pay scale and length of service will be eligible for consideration.

(2) The Posts of Chairperson and Deputy Chairperson shall be of Selection Posts for which the benchmark in overall grading of Annual Performance Appraisal Reports for last five years should not be below 'Very Good'.

(3) Applicants with left over service of two years or more (as on the date of arising of vacancy or closing date of submission of applications, whichever is later) shall only be considered for appointment.

Form

(See rule 16)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I, _______________, having been nominated / appointed *[cross out portion not applicable]* as the Chairperson / Deputy Chairperson / Member *[cross out portion not applicable]* of *[Insert name of the Major Port Authority]*, do solemnly affirm and declare that

a. I am neither ineligible nor disqualified to hold the office of Chairperson / Deputy Chairperson / Member *[cross out portion not applicable]* of the said Major Port Authority; and

b. I do not have, nor shall have in future any financial or other interest including conflict of interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson / Deputy Chairperson / Member *[cross out portion not applicable]*, of the said Major Port Authority.

Signature:

Place:

Name:

Designation:

Date:

[F. No. PD-24015/59/2021-PD-I]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.